दैनिक भास्कर के जयपुर संस्करण में दिनांक 05.08.2018 को "खामी ..... जहॉ सिस्टम लागू वहा ज्यादा बिल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संबंध में वस्तुस्थिति।

दैनिक भास्कर में दिनांक 05.08.2018 को प्रकाशित उपरोक्त समाचार के संबंध मे यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम मे माह मई 2018 से 13 वृत्तो मे से 12 वृत्तो के (जयपुर नगर वृत्त के अलावा) 31 लाख उपभोक्ताओं को मासिक बिजली के बिल भिजवाए जा रहे है। यह परिवर्तन उपभोक्ताओं के घरेलु बजट को संतुलित करने, समय पर राजस्व संग्रहण एवं राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशो की पालना करने हेतु किया गया है ।

अतः यह कहना की सांगानेर मे पायलट प्रोजेक्ट के जरिए सिस्टम को देख कर सुधार किया जा रहा है यह पूर्णतया मिथ्यापूर्ण है। जयपुर जिला वृत्त के उपखंड सागांनेर ग्रामीण मे गत 3 माह से मासिक बिलिंग सफलता पूर्वक संपादित की जा रही है और अभी तक किसी भी उपभोक्ता द्वारा स्थायी शुल्क, विद्युत शुल्क, शहरी उपकर एवं जल सरंक्षण कर के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायत नही की गई है।

उपभोक्ता के विद्युत विपत्र मे विद्युत शुल्क, शहरी उपकर एवं जल सरंक्षण कर की गणना उपभोक्ता द्वारा उपभोग कि गई विद्युत यूनिट के अनुसार करके वसूल की जाती है एवं इन उपकरो का विद्युत बिल की समयावधि से कोई संबंध नही होता कि बिल एक माह का है अथवा दो माह का। जबकि स्थायी सेवा शुल्क की गणना मासिक आधार पर चार्ज की जा रही है। अतः यह प्रचार कि ज्यादा या अधिक राशि वसूल कि जा रही है अथवा यह राशि आधी होनी चाहिए पूर्णतया निराधार एवं मिथ्या है। वर्तमान मे प्रचलित मासिक विद्युत विपत्र जारी करने की संपूर्ण प्रक्रिया राजस्थान विद्युत विनायमक आयोग द्वारा निर्धारित दरो एव ओदशों के अनुरूप ही है उपभोक्ताओ से किसी भी प्रकार की अनावश्यक राशि नही वसूली जा रही है।

अतः इस मासिक विद्युत विपत्र बनाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई खामी नही है एवं पूर्व की बिलिंग प्रक्रिया मे आ रही शिकायते भी नगण्य हो गयी है।

.....